

मध्यान्ह भोजन : ताज़ा या पैकड़

रमा बारु, राजीब दासगुप्ता, मीता देशपांडे, अपर्णा मोहन्ती

मध्यान्ह कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर है। पका हुआ भोजन विद्यार्थियों को स्कूल की ओर खींच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी लॉबी तैयार हो रही है जो पके हुए ताजे भोजन की जगह डिब्बा बंद भोजन (बिस्कुट आदि) के वितरण की वकालत कर रही है। यह आलेख विद्वानों, डॉक्टरों, पोषण एवं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच इस बात की बहस पर आधारित है कि राशन वितरण या पके हुए ताजे भोजन में से किसे वरीयता दी जाए।

हाल ही में मध्यान्ह भोजन और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत स्कूलों में दोपहर के समय दिए जा रहे ताजा पके हुए भोजन की जगह तैयार सामग्री दिए जाने की वकालत की गई है, जिसका देश भर के वैज्ञानिकों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। स्कूल-पूर्व और स्कूली बच्चों को पोषण प्रदान कराने के उद्देश्य से अनेक संस्थाओं द्वारा पिछले एक दशक में लगातार अभियान चलाए गए तब जाकर इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। ये अभियान बच्चों के अधिकारों और जानलेवा भूख के चलते उन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के मुद्दों को लेकर चलाए गए। अभियान के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में अनेक राज्यों में मध्यान्ह भोजन योजना लागू की गई है।

कुपोषण की समस्या

पके हुए भोजन पर उंगलियां उठना तब शुरू हुई जब इसके वितरण के बाद भी कुपोषण की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के तीन राउण्ड्स के आंकड़े दिखाते हैं कि पूरे देश के स्तर पर तीन वर्ष तक के बच्चों में कम वज़न वाले बच्चों का प्रतिशत लगभग वही बना हुआ है। अल्पविकसित (स्टंटेड) बच्चों की संख्या कम हुई है जबकि दुर्बल (वेर्स्टेड) बच्चों की संख्या बढ़ी है।

इस संदर्भ में बेहतर और कम विकसित राज्यों के बीच काफी भिन्नता है। उदाहरण के लिए गुजरात में कुपोषण की तीनों ही श्रेणियों में मामूली वृद्धि दिखती है जबकि तमिलनाडु में कम वज़न और अल्प विकास के

स्तर में कमी एवं दुर्बलता के स्तर में इज़ाफा नज़र आता है। जब म.प्र. और बिहार के आंकड़ों की तुलना विकसित राज्यों से करते हैं तो दुखद परिणाम सामने आते हैं।

दूसरे व तीसरे राउण्ड के बीच की अवधि में मध्यप्रदेश में कम वज़न के बच्चों का प्रतिशत 54 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया था। अल्प विकास के स्तर में कमी तो आई लेकिन दुर्बलता का स्तर 20 से बढ़कर 33 प्रतिशत पर पहुंच गया। बिहार की स्थिति कुछ अलग नहीं है। यहां भी कम वज़न के बच्चों की संख्या में कुछ इज़ाफा हुआ है, अल्पविकसित बच्चों में कुछ कमी आई है लेकिन दुर्बलता का स्तर 20 से 28 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

दुर्बल बच्चों का बढ़ता अनुपात एक चेतावनी है कि इस और ध्यान दिया जाए और इसे जन स्वास्थ्य का सबसे बड़ा खतरा घोषित किया जाए। सरकार को चाहिए कि भूख का समाधान करे ताकि परिस्थितियों को बदला जा सके।

सर्वे के परिणामों, परिस्थितियों और ज़रूरतों का असर है कि यूपीए सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस बात पर अधिक वित्तीय आवंटन दिया है एवं एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम व मध्यान्ह भोजन योजना को देशभर में लागू करने का विचार किया है।

मध्यान्ह भोजन का इतिहास

देश के विभिन्न हिस्सों में मध्यान्ह भोजन योजना का एक लंबा और उबड़-खाबड़ इतिहास है। सर्वप्रथम 1995 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में इसकी

शुरूआत हुई थी और इसे नाम दिया गया था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रायमरी एजूकेशन (NPNSPE)। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि बच्चों को स्कूल में ताज़ा पका हुआ भोजन दिया जाए, लेकिन यह देखा गया कि ज्यादातर राज्य अनाज वितरण करके ही अपने दायित्व की इतिहासी कर रहे थे।

तब पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) ने एक जनहित याचिका दायर की जिसमें उसने कहा कि एक ओर जहां हमारे देश में जीर्ण भूख और कुपोषण की समस्या है, वहीं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज रखने की जगह नहीं है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2001 में फैसला दिया था कि प्रत्येक बच्चा पके हुए भोजन का हकदार है जिसमें प्रतिदिन उसे 300 कैलोरी ऊर्जा और 8-12 ग्राम प्रोटीन मिले। यह भोजन वर्ष में कम-से-कम 200 दिन सुनिश्चित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 8 अलग-अलग कार्यक्रमों का रूप दिया गया जिसमें एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम और मध्यान्ह भोजन भी आते हैं। एक विस्तृत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अभाव में बहुत से राज्यों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन यानी पके हुए भोजन का लाभ आज भी निर्णायक महत्व रखता है।

वर्ष 2003 में कोर्ट ने ऐसे राज्यों को फटकार लगाई थी जो इस योजना में पिछड़े थे और इसे लागू करने में असफल रहे थे।

झेज़ और गोयल ने 2003 में यह पाया था कि मध्यान्ह भोजन योजना में अनेक दोष हैं, लेकिन इसके बावजूद कदम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटाए जा सकते। संसाधन और गुणवत्ता के दम पर मध्यान्ह भोजन स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने, भूख मिटाने और सामाजिक असमानता घटाने के साथ-साथ, पोषण और स्नेह बढ़ाने



एक विस्तृत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अभाव में बहुत से राज्यों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन यानी पके हुए भोजन का लाभ आज भी निर्णायक महत्व रखता है।

सितम्बर 2008

का भी काम कर सकता है। दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के साथ काम करते हुए हम समझ पाए कि प्रशासनिक समस्याओं के बावजूद मध्यान्ह भोजन का कितना महत्व है। इस अनुभव के आधार पर हमें लगता है कि मध्यान्ह भोजन और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम में वितरित किए जा रहे ताज़ा पके हुए भोजन की जगह पैकड़ भोजन और बिस्कुट के वितरण से अब तक प्राप्त उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा।

झाय फूड के प्रभाव

झाय फूड और बिस्कुट आदि वितरित करने के अनुभव उतने सुखद नहीं रहे हैं। NPNSPE योजना के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूर्व पके हुए भोजन की जगह ये चीज़ें वितरित की जाती थीं। बच्चे इनका पूरा उपयोग नहीं कर पाते थे। यद्यपि इससे बच्चों के नामांकन में वृद्धि तो हुई लेकिन विद्यालय में उनकी उपस्थिति और बने रहने पर बहुत थोड़ा ही असर हुआ।

झाय स्नैक्स के पोषण मान पर भी प्रश्न चिन्ह है और यह पाया गया है कि इनका पोषण सम्बंधी असर ताज़ा पके हुए भोजन की तुलना में काफी कम है। इस बात को रेखांकित करने की ज़रूरत है कि बिस्कुट जैसे प्रोसेस्ड भोजन में फॉयबर की मात्रा बहुत कम होती है और मोनो एवं पॉली दोनों ही प्रकार के ट्रांस असंतृप्त वसा अम्ल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनका लगातार प्रयोग आगे चलकर मध्यमेह और हृदय सम्बंधी बीमारियों की आशंका बढ़ाता है। ताज़े पके हुए भोजन में अधिक पोषक तत्व होते हैं। पोषण प्रति रुपए की दृष्टि से पैकड़ फूड महंगा पड़ता है।

एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम और मध्यान्ह भोजन का अनुभव है कि अधिकतर बच्चे झाय फूड को अपने साथ घर ले जाते हैं। बाद में वे उसे खाते हैं या नहीं, पता नहीं चलता। परिवार की गरीबी को देखते हुए लगता है कि वह झाय फूड परिजनों में बंटता होगा।

इस मुद्दे के वैज्ञानिक तथ्यों पर शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, शिक्षाविदों, पोषण एवं जन स्वास्थ्य

विशेषज्ञों के बीच एक विचार विमर्श जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जहां उपलब्ध तथ्यों की बहुआयामी पड़ताल की गई। विचार विमर्श के आधार पर इस समूह ने कुछ मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया है जो ताज़ा पके हुए भोजन के महत्व को बल प्रदान करते हैं।

इस समय दो बड़ी पोषण योजनाएं चल रही हैं— मध्यान्ह भोजन और आई.सी.डी.एस।। इनकी डिज़ाइन और प्रबंधन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इन कार्यक्रमों को एकीकृत करने की स्पष्ट आवश्यकता है। इनकी रचना बच्चों में कुपोषण के प्रकार, कारणों और तीव्रता के आधार पर करने की भी आवश्यकता है। ताज़ा शोध बताते हैं कि बचपन का कुपोषण वयस्क अवस्था को भी प्रभावित करता है।

अलग-अलग राज्यों में अल्प-पोषण की अलग-अलग स्थिति और वहां चल रहे कार्यक्रमों के मॉडल का अध्ययन कार्यक्रम को अधिक दक्ष और उसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने में मददगार होगा। जैसे तमिलनाडु के पोषण कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। इसमें आई.सी.डी.एस. और मध्यान्ह भोजन में सकारात्मक हस्तक्षेप किए गए। यही स्थिति कर्नाटक, कुछ हद तक आंध्रप्रदेश, राजस्थान और गुजरात की भी है।

विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त अनुभव से इन हस्तक्षेपों को जोड़कर एक अधिक कारगर कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है। जिन राज्यों में कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं, वहां के परिणाम कार्यक्रम में विकेन्द्रित सोच की ज़रूरत को उभारते हैं ताकि क्षेत्रीय एवं स्थानीय विशेषताओं के हिसाब से उन्हें ढाला जा सके। यह बात देखने में आई है कि यदि लागत थोड़ी बढ़ा दी जाए, तो भोजन सूची में विविधता लाई जा सकेगी, मात्रा बढ़ाई जा

अनुभव है कि अधिकतर बच्चे ड्राय फूड को अपने साथ घर ले जाते हैं। बाद में वे उसे खाते हैं या नहीं, पता नहीं चलता। परिवार की गरीबी को देखते हुए लगता है कि वह ड्राय फूड परिजनों में बंटता होगा।



सकेगी और पोषक तत्वों में इज़ाफा होगा। इस भोजन की मात्रा में वृद्धि इसे पूरक भोजन की श्रेणी से निकालकर संपूर्ण भोजन के स्तर पर ले आएगी। इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए कि खर्च में कितना इज़ाफा करके मध्यान्ह भोजन को पूरक से संपूर्ण भोजन बनाया जा सकता है। एक संपूर्ण भोजन मुहैया कराना बच्चों के अल्प-पोषण की समस्या के समाधान में काफी मददगार साबित हो सकता है।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कई खामियां हैं जिनका सम्बंध स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से है। जैसे पानी की समस्या, शौचालय, रसोई और खाना पकाने व उसे वितरित करने वालों की कमी आदि। यह भी देखा गया कि प्रशासन के व्यक्ति योजनाओं को पूरी तरह से समझते नहीं हैं और साथ ही नई योजनाओं को संचालित करने का उत्साह भी उनमें नहीं होता। इन समस्याओं को कुशल निगरानी तंत्र द्वारा हल किया जा सकता है। यह तंत्र गुणवत्ता, मानकों, भ्रष्टाचार और अनाज वितरण की धांधली पर नज़र रखेगा। शुद्ध मन और सही सोच के साथ आगे बढ़ने पर ये कार्यक्रम धर्म, जाति, लिंग या वर्ग का भेदभाव किए बगैर सारे बच्चों तक भोजन और पोषण अवश्य पहुंचाएंगे। यह इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है मगर इसे प्रायः दरकिनार कर दिया जाता है और उस पर खर्च और कवरेज को लेकर नौकरशाही मोह हावी हो जाता है।

इन विभिन्न मुद्दों को एक वक्तव्य का रूप दिया गया है। इस वक्तव्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ शास्त्र, प्रशासन वगैरह से सम्बंधित विभिन्न अभियानों व संस्थाओं ने अनुमोदित करके प्रधानमंत्री को सौंप दिया। इस पर प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपना यह वादा दोहराया कि वे कुपोषण की दर को हर कीमत पर कम करना चाहते हैं। योजना आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि वह ताज़ा पके हुए भोजन के पक्ष में है जिसे वहां नियुक्त महिलाओं द्वारा पकाया जाए।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने बताया कि

बिस्कुट निर्माता कम्पनियों ने एक प्रस्ताव भेजा है कि मध्यान्ह भोजन में बच्चों को पके हुए भोजन की जगह बिस्कुट परोसे जाएं। उन्होंने संसद को यह भी बताया कि मध्यान्ह भोजन में बिस्कुट वितरित करना बच्चों के हित में नहीं है। बिस्कुट न तो पोषण ज़रूरतों की पूर्ति करता है और न ही बच्चों को तृप्ति देता है। इसके अलावा पके हुए भोजन में अनेक ऐसे निहित लाभ हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता।

यह आगे बढ़ता अभियान सिविल सोसायटी की व्यापक भागीदारी से चलाया जा रहा है और यह इस बात का प्रमाण है कि ऐसी सामाजिक संस्थाएं नीतियों को कितना प्रभावित कर सकती हैं, यहां तक कि उन्हें पलट भी सकती हैं। इस तरह के प्रयास में लगातार जुड़ाव व लगन की ज़रूरत होती है ताकि राजनेताओं से एक वार्तालाप बनाया जा सके जो अक्सर वैज्ञानिक प्रमाणों की बजाय कार्पोरेट हितों से संचालित होते हैं। (*स्रोत फीचर्स*)

वर्ग पहेली 47 का हल

आ	मा	श	य			अ		इ
व		नि		प्र	भा	व	क्षे	त्र
र्त			स्त				त	
ता	प	मा	न		क	ल	र	व
लि			धा	व	क			रा
का	री	ग	री		ह	म	रा	ह
			ति			रा		
प	रि	मा	र्ज	न		मु		हि
ट		न			व	र्गा	का	र